

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

विषय :- राज्य में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना) के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु रूपमे 6.32 करोड प्रति वर्ष की दर से व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। यह अधिनियम लाभुकों को गोजन का अधिकार प्रदान करती है। वस्तुतः इस अधिनियम का सर्वोपरि उद्देश्य मानव जीवन तक में खाद्य एवं पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करने हुए एक प्रशिक्षित जीवन की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की धूनि हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पात्र आदिम जनजाति के सादरया को प्राथमिकता के तार पर आव्यादित किये जाने की कार्रवाई की गई है।

2. झारखण्ड राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की गौगोलिक बनावट तथा स्थलाकृति की देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि राज्य की अधिकाश क्षेत्र पहाड़ी एवं ढुर्गम है। इन पहाड़ी एवं ढुर्गम क्षेत्रों में मुख्यतः आदिम जनजाति निवास करती है। राज्य के आदिम जनजाति की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। अतः खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु प्रतिमाह लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन्हीं कातिनाइयों को व्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छायित सभी पात्र आदिम जनजातियों के निवास स्थान तक उन क्रियान्वयनों को विकास के लिए उपलब्ध कराने के विद्युतिकृण रो राज्य में निश्चिन्त जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना) के शुभारम्भ किया जाना है। साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के प्रश्नात् कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जलाई जा रही मुख्यान्वयी खाद्य सुरक्षा योजना का विलय इस योजना में कर दी जायेगी। इस हेतु सभी जिले सभी आदिम जनजाति परिवारों को अन्तर्देशीय लाभुकों के रूप में चिन्हित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं अर्थनिक आपूर्ति निगम के गोदाम तक झारखण्ड राज्य खाद्य एवं अर्थनिक आपूर्ति निगम के गोदाम से इन वितरण प्रणाली द्वारा तक खाद्यान्न का परिवहन जिला प्रशासन द्वारा चयनित परिवहन भारिकर्ता द्वारा ठोक स्टेप लिलियरी के माध्यम से किया जाता है।

4. विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं अर्थनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम तक लायी गई खाद्यान्न को 35 किलोग्राम के निर्धारित मानक वाले पैकेट में पैकेजिंग करते हुए वीथी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित आदिम जनजाति के निवास रथान तक पहुँचायी जायेगी।

5. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं अर्थनिक आपूर्ति निगम के गोदाम में खाद्यान्न के पैकेजिंग राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक प्रैजिल के सभी मण्डली (SHGs) द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिले में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं अर्थनिक आपूर्ति निगम के आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक गोदाम चिन्हित किये जायेंगे जहाँ खाद्यान्न की पैकेजिंग वी जायेगी। इस सब्द में झारखण्ड राज्य आजीविका संसाधन सोसाइटी द्वारा लुप्त 68,731 आदिम जनजाति परिवारों के लिए खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए प्रतिवर्ष लगभग रुपये 3.00 करोड़ रुपये व्यय

होने का प्रस्ताव दिया गया है। चिदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आदिम जनजाति परिवारों के रागाधेशन/अपवर्जन होने की स्थिति में वह खाद्य घट बढ़ सकती है।

6. इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम से आदिम जनजाति के निवास रथल तक खाद्यान्न का ऐकेट पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नियंत्रण में पहुँचाया जायेगा। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुशार एक या एक या अधिक पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को नामांकित किया जायेगा जो खाद्यान्न के परिवहन हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगे एवं एक उम्मी जन वितरण प्रणाली दुकान भी उड़ से भूमिका अदा करेंगे। साथ ही संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से एक ई-पास दिया जायेगा जिसके साथ उस क्षेत्र के सभी चिन्हित आदिम जनजाति टैंग रहेंगे ताकि यथासभव बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के आधार पर e-POS के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण हो सके।

7. विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना) को प्रारंभ करने हेतु झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाईटी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आलोक में मजदूरी व्यय का भुगतान प्रत्येक लिमाई के प्रारंभ में अग्रिम के रूप में की जायेगी। साथ ही सर्वी मण्डल को ऐकेटिंग से संबंधित सामग्रियों से अन्य के रूप हेतु एकमुक्त अग्रिम राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न के परिवहन करने में रूपये $75.00 + \text{रूपये } 30.00 = \text{रूपये } 115.00$ प्रति वितरण की दर से व्यय भारित है। तूकी आदिम जनजातियों का निवास स्थल अपेक्षाकृत दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इस दूषिकारों से इस योजनानुर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम से आदिम जनजातियों के निवास स्थल खाद्यान्न का परिवहन करने हेतु अधिकालम रूपये 115.00 प्रति विवर्टल की दर से व्यय की जायेगी।

9. वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 24 जिलों के 168 प्रखण्डों में कुल 68,731 आदिम जनजाति परिवार आन्द्राधित हैं। इन परिवारों की 35 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न वितरण हेतु 24055.85 विवर्टल खाद्यान्न की आवश्यकता प्रतिमाह होगी जिसके परिवहन पर रूपये 0.27 करोड़ प्रतिमाह यथा रूपये 3.32 करोड़ प्रति वर्ष की दर से व्यय भारित है। विदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आदिम जनजाति परिवारों के समावेशन/अपवर्जन होने की स्थिति में यह गणि बढ़ राकती है।

10. इस प्रकार राज्य में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना) के संचालन हेतु प्रति वर्ष कुल रूपये 30 करोड़ (ऐकेटिंग इत्यादि) + रूपये 3.32 करोड़ (परिवहन) = रूपये 6.32 करोड़ (रूपये 7 दशमलव की नीले करोड़ ग्राम) व्यय होगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक गें प्रकाशित किया जाय।

राज्यपाल के आदेश से,

५०/-

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

झापाक—खा०प्र०—०१/ डाकिया स्कीम/ ७—७/ २०१६— / रॉची दिनांक —
प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय पेट्र बोरड़, रॉची को इसे आरखण्ड राजपत्र के आगामी
अक में प्रकाशित करने एवं इसकी २०० (दो सौ) अंतिरिक्ष प्रतियों इस प्रिमाग को उपलब्ध
कराने हेतु अप्रसारित।

८०/-
सरकार के सचिव।

झापाक—खा०प्र०—०१/ डाकिया स्कीम/ ७—७/ २०१६— / रॉची दिनांक —
प्रतिलिपि— माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान
सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ महाप्रिवेशक, श्री कृष्ण लाल प्रसादसन सरकार, रॉची/ सभी
प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी प्रिमागाच्छक/ सभी प्रनप्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ प्रबंध
भारतीय खाद्य निगम, रॉची/ निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, रॉची/ सभी उप
जमशेदपुर एवं घनबात/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं
अरोनिक आपूर्ति निगम, आरखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

८०/-
सरकार के सचिव।

झापाक—खा०प्र०—०१/ डाकिया स्कीम/ ७—७/ २०१६— १६६, / रॉची दिनांक - ८/८/१७
प्रतिलिपि—संयुक्त सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रिमाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

८/८/१७
सरकार के सचिव।